उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-169/2018/2840/92-2-18-89(जॉच)/2016,

लखनऊ:: दिनांक:: 29 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड-कर्वी के ग्राम पंचायत हिनौतामाफी में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में हुई शासकीय क्षति, कार्य पर क्वालिटी इन्शोरेन्स रजिस्टर न बनाने एवं निर्धारित मात्रा में मापी चेकिंग न किये जाने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2016/2214/92-2-2016-89जांच/2016, दिनांक 19.12.2016 द्वारा श्री नियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-355/92-2-2017-89(जांच)/2016, दिनांक 01.03.2017 द्वारा श्री नियाज अहमद के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 17.03.2017 द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र मय साक्ष्यों सहित अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया कि आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री नियाज अहमद को तामील कराकर कर तामीली रसीद उपलब्ध करायें, जिसके क्रम मे अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल चित्रकूट धाम मण्डल बांदा ने अपने पत्र दिनांक 30.03.2017 के माध्यम से श्री नियाज अहमद को दिनांक 10.04.2017 को आरोप पत्र प्राप्त कराया गया, जिसकी तामीली रसीद दिनांक 10.04.2017 को मूल रूप से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल कानुपर को दिनांक 18.05.2017 को उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-कानपुर द्वारा पुन: अपने पत्र दिनांक 20.05.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री नियाज अहमद को बचाव उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु 01 सप्ताह का समय तथा व्यक्तिगत रूप से प्रकरण के संबंध में दिनांक 02.06.2017 को जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-कानपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया गया, किन्तु अपचारी अधिकारी श्री नियाज अहमद द्वारा उत्तर नहीं दिया गया और न ही परिमण्डलीय कार्यालय कानपुर में उपस्थित हुए। जांच अधिकारीअधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-कानपुर की एकतरफा जांच आख्या उनके पत्र दिनांक 23.06.2017 द्वारा शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल कानपुर के पत्र दिनांक 14.08.2017 के माध्यम से प्राप्त अपचारी अधिकारी श्री नियाज अहमद के बचाव उत्तर को शासन के पत्र दिनांक 15.09.2017 द्वारा जांच अधिकारी को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि श्री नियाज अहमद के बचाव उत्तर को शामिल करते हुए पुन: नवीन जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायें। जांच अधिकारी की नवीन जांच आख्या दिनांक 08.11.2017 जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-05 आरोपों में से आरोप संख्या-1, 3, 4, एवं 5 को प्रमाणित पाया गया। किन्तु आरोप संख्या-2 को प्रमाणित नहीं पाया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 06.12.2017 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन/अभिकथन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 03.10.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है-

अपचारी अधिकारी श्री नियाज अहमद ने प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अभिकथित किया कि उनके द्वारा अभ्यावेदन/अभिकथन पत्र दिनांक 13.07.2017 एवं दिनांक 05.10.2017 द्वारा शासन को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

डाक द्वारा प्रेषित किया गया। शासनादेश दिनांक 06.12.2017 के सापेक्ष अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु उनके पत्र दिनांक 09.02.2018, दिनांक 07.05.2018 एवं 05.07.2018 द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निर्देशित किया गया था, परन्तु निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण उनके द्वारा शासन स्तर से मांगे गये अभ्यावेदन के क्रम में वे अभिकथन प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके कारण उनके द्वारा शासन स्तर से मांगे गये अभ्यावेदन के क्रम में अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः विवश होकर जांच अधिकारी द्वारा आरोपित शासकीय क्षति रू0 7,977.00 श्री नियाज अहमद द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रखण्ड चित्रकूट में दिनांक 28.07.2018 को जमा कर दिया गया।

3- प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों/अभिलेखों को संज्ञान में रखते हुए श्री नियाज अहमद तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट, जो दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्त हो गयें है, जिससे उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1, 3, 4 एवं 5, जिसमें से आरोप संख्या-1 जो शासकीय क्षति धनराशि रू0 7,977.00 से संबंधित था, के संबंध में किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नहीं रह गया है तथा आरोप संख्या-1 में परिलक्षित शासकीय धनराशि रू0 7,977.00 राजकोष में जमा कर दिये जाने के द्रष्टिगत उक्त धनराशि को समायोजित मानते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-80/2016/2114/92-2-16-89(जांच)/ 2016, दिनांक 19.12.2016 द्वारा सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-169/2018/2840(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री नियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in